

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-171/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/358)

1. स्व. रामकिशोर शर्मा पुत्र रामसहाय उम्र 80 वर्ष, निवासी ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर (मृतक जरिये वारिसान)
 1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री रामकिशोर,
 2. जगदीश प्रसाद शर्मा,
 3. मनोहर लाल शर्मा
 4. भगवती प्रसाद शर्मा,
 5. रामअवतार शर्मा,
 6. छोटेलाल शर्मा,
 7. गिराज प्रसाद शर्मा नम्बर 2 से 7 तक पुत्रान स्व. श्री रामकिशोर,
 8. गीता,
 9. सुशीला,
 10. गुड्डडी,
 11. ललता नम्बर 8 से 11 पुत्रीयान स्व. रामकिशोर, समस्त निवासीयान ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है अपीलार्थीगण आवंटी स्व. रामकिशोर शर्मा पुत्र रामसहाय के विधिक वारिसान है तथा आवंटी श्री रामकिशोर पुत्र रामसहाय की मृत्यु दिनांक 16.05.2023 को हो चुकी है जिस कारण से उनके विधिक वारिसान की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. रामकिशोर ग्राम धौलान तहसील टहला जिला अलवर के भूमिहीन व्यक्ति थे तथा अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज स्व. रामकिशोर पुत्र रामसहाय को ग्राम धौलान, तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 2.06 हैक्टर बरानी-3 में से 0.80 हैक्टर सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/925 दिनांक 28.02.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का कब्जा अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर आवंटित भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर विधिक आवंटी के रूप में आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होकर कृषि कार्य कर रहे थे तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. रामकिशोर को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी जॉच कमेटी अलवर की जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रशासन गवों के संग अभियान 2021 के दौरान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन को गठित जिला स्तरीय जॉच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. रामकिशोर द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर आवंटी का विधिक रूप से कब्जा काश्त है जिस पर आवंटी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नहीं है, भूमि की किस्म बरानी है तथा आवंटी भूमिहीन व गरीब परिवार की श्रेणी में आता है एवं आवंटी, आवंटन नियमों की सभी शर्तों की पालना करता रहा है। उसके बावजूद अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 03.03.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपास्त कर दिया गया जो निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण का परिवार बहुत ही गरीब है तथा सिर्फ खेती पर ही निर्भर है। अपीलार्थी के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल-कपट नहीं किया गया है और उनके द्वारा भू आवंटन नियमों की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नहीं किया गया है तथा अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

(3)

(कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन) 1970 की समस्त शर्तों हेतु पात्रता रखते थे और इसीलिये आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतय पालना करते हुए ही अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर को भूमि आवंटन हेतु पात्र मानते हुए ही विधि सम्मत आवंटन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक दृष्टिगण अपनाये एवं भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्राक्धानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही केवल एकतरफा की गई फौरी जॉच को ही आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 03.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.02.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 03.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटी आवंटित भूमि हल्का पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक की आवंटन चैक लिस्ट में सम्वत् 2020 में आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन राडा, 24 बीघा 4 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन तलाई रकबा 1 बीघा अंकित है एवं सम्वत् 2012 किस्म गैर मुमकिन राडा अंकित है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, गैर मुमकिन नला/पहाड़/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, ग्राम धौलान उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आता है, जॉच कमेटी ने आवंटन आदेश शिविरों/फैलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा

P.T.O.

(4)

निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नहीं किये गये, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंका भी की गई है, इत्यादि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी के पूर्वज स्व. श्री रामकिशोर पुत्र रामसहाय की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।